

आदेश की
क्रम सं० और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख के
साथ

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 36/2018-2019 सकुना देवी वनाम् मानसी देवी एवं अन्य आदेश

03/07/21
आवेदिका सकुना देवी, पति-भोला मिस्त्री, निवासी ग्राम+पोस्ट-खटौंगी, थाना-कुर्था, जिला-
अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि की नापी कराकर
क्षतिग्रस्त मेड़ को पुनः स्थापित करने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि निम्न है:-

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
387	3249	05 धूर लगभग	उत्तर-नाथुन मिस्त्री दक्षिण-सिकन्दर मिस्त्री पूरब-नीज पश्चिम-प्रतिवादीगण

अवस्थित मौजा-खटौंगी, थाना नं०-164, थाना-कुर्था, अंचल-सोनभद्र वंशी सूर्यपूर,
जिला-अरवल

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत
किया गया। विपक्षीगण उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) विवादित भूमि आवेदिका का खरीदगी भूमि है जो बसीका संख्या-8553 दिनांक 19.07.1989 से राजेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता-सरयु प्रसाद सिंह से खरीदगी प्राप्त की है।
- (2) भूमि की खरीदगी के उपरान्त उनके दखल कब्जे में चली आ रही है।
- (3) वादिनी द्वारा खरीदगी भूमि पर वर्तमान में मकान बनाकर निवास कर रही है तथा मकान बनाते समय अपने खरीदी भूमि के अंश रकवा 05 धूर को सहन के रूप में उपयोग हेतु अपने भूमि के पश्चिमी छोर पर छोड़ी हुई है जिसमें एक पेड़ अमरुद्ध, तीन पेड़ निम्बू तथा दो पेड़ तार लगा हुआ है तथा धर की नाली निकलती है।
- (4) प्रतिवादीगण वादिनी के अंश रकवा के अनैतिक तरीके से अपने भूमि में मिला लेने का प्रयास कर रहे हैं। ग्राम कचहरी द्वारा प्रार्थी एवं प्रतिवादी की भूमि की पैमाईश स्थानीय स्वतंत्र अमीन से कराकर मेड़ पर पिलर गाड़ा गया था जिसे प्रतिवादी उखाड़ कर फेंक दिये।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विवादित भूमि की नापी कराकर क्षतिग्रस्त मेड़ को पुनः स्थापित करने का अनुरोध वादिनी के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

प्रतिवादिनीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) वादिनी एवं प्रतिवादिनी एक ही वंश वृक्ष का शाखा है। विवादित प्लॉट में उभय पक्षों द्वारा जमीन खरीद की गई है और दोनों अपने-अपने खरीदी जमीन में मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। वादी के धर के पुरब प्रतिवादीगण का खतियानी जमीन है जिसका अंश रकवा वादी के मकान में लगभग 8-9 फीट जमीन निकलता है।

(2) खाता नं०-387, प्लॉट नं०-3249 में एराजी 01 कटठा 09 धुर जमीन मानसी देवी दिनांक 06.01.2009 को मदन शर्मा, लाला शर्मा एवं बैकुण्ठ शर्मा तीनों पिता स्व०-राम खेलावन सिंह से खरीदी है। उक्त खरीदगी जमीन में 06 फीट जमीन छोड़कर मकान बनाया गया है जो सहन के रूप में कार्य में आता है।

(3) विक्रेता का प्रश्नगत प्लॉट 3249 में कुल 02 कटठा 18 धुर जमीन था जिसमें प्रतिवादी के ससुर स्व० अमोद मिस्त्री के द्वारा पूर्व में 01 कटठा जमीन खरीद की गई थी उस जमीन में भी प्रतिवादी का चौथा भाग यानि 05 धुर हिस्सा है।

(4) विवादित प्लॉट में प्रतिवादीगण के द्वारा 01 कटठा 09 धुर जमीन खरीद किया गया तो शेष जमीन मात्र 09 धुर ही बचा जिसमें वादिनी के द्वारा 12 धुर ही जमीन खरीदने की बात कही जा रही है जो गलत है और 03 धुर जमीन उनका कम है जिसकी भरपाई प्रतिवादीगण में करना चाहते है जो बिल्कुल न्योचित नहीं है।

(5) वादिनी द्वारा निबंधित वसीका संख्या 8553 दिनांक 19.07.1985 से खाता संख्या-387, प्लॉट नं०-3249, रकवा-12 धुर जमीन खरीदने की बात जो बताई गई है वह बिल्कुल गलत है। वाद पत्र में वर्णित जमीन खरीदगी का वर्ष गलत है। दोनों का खरीदगी पश्चात् अपना-अपना मकान बना हुआ है तथा वादी के द्वारा 09 धुर के बदले जमीन को 12 धुर यानि 03 धुर जमीन अधिक लिखा लेने आदि विभिन्न तरह के त्रुटियों के आधार पर वाद खारिज करने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं वाद में पोषित केवाला का अवलोकन किया। आवेदिका सकुना देवी ने विवादित जमीन पर दावा प्रश्नगत जमीन के केवाला के आधार पर किया है जो श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता-श्री सरयु प्रसाद सिंह, साकिन-खटौंगी, प्रगाना-अरवल, थाना-कुर्था, जिला-जहानाबाद से डीड संख्या-8553 दिनांक 19.07.1989 से क्रय की है जबकि विपक्षी ने श्री मदन शर्मा, श्री लाला शर्मा व श्री वैकुण्ठ शर्मा से दिनांक 06.01.2009 में 01 कठा 09 धुर क्रय किया है जबकि प्रतिवादी द्वारा अमोद मिस्त्री से 01 कठा जमीन क्रय करने की बात कही है जिसे प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि वादिनी विवादित भूमि दिनांक 19.07.1989 को क्रय की है जबकि प्रतिवादीगण दिनांक 06.01.2009 को क्रय किया है। उक्त भूमि पर वादिनी द्वारा मॉंगा गया अनुतोष स्वीकार किया जाता है। अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर को विवादित भूमि की सीमांकन कराने का आदेश देती है। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी सोनभद्र वंशी सूर्यपूर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

03/07/19

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

03/07/19

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।